राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–२२७१३२

संख्या ई– 4681 /जी०एस०
दिनांक : 11/6/ 2010

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विधिक परामर्शदाता,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलपति,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

विषय– विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में छात्रों का प्रवेश न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया रिट पिटीशन संख्या–२८३०/२००४ में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक २२–०६–२००५ के कम में उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में छात्रों का प्रवेश न किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्याः–४०४/सत्तर–१–२००६–१७(१८)/०५, दिनांक २८ मार्च, २००६ निर्गत किया गया था। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–१(३) में यह निर्देश दिये गये थे कि "यदि किसी विद्यार्थी को अन्तिम तिथि के पश्चात् या स्वीकृत संख्या से अधिक प्रवेश दिया गया तो ऐसे कृत्य के लिये कालेज के प्राचार्य या प्रबंधक, जैसी स्थिति हो, आपराधिक रूप से अभियोजित किये जा सकेगें"।

इस कम में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह स्थिति स्पष्ट की गई कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा–६१(२)(घ) के अनुसार :–

"(घ) किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के उपबन्धों के सभी या किसी उपबन्ध का सम्यक रूप से पालन करने में जानबूझ कर बाधा डालता है, सिद्ध होने पर ऐसी अवधि के लिये कारावास जो एक वर्ष की हो सकती है या जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय होगा"।

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह भी अभिमत व्यक्त किया गया है कि स्वीकृत संख्या से अधिक छात्रों को विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में प्रवेश दिया जाता है तो वह अधिनियम की उक्त धारा के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

कृपया विश्वविद्यालय स्तर पर मा० उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक २२–०६–२००५ एवं शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय एवं विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध/सहयुक्त समस्त महाविद्यालयों को भी तदनुसार निर्देशित किया जाय।

भवदीय,
10/6/X

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

(राजवीर शर्मा)
कुलाधिपति के विधिक परामर्शदाता।

प्रतिलिपि :

1. सचिव/प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे सन्दर्भित शासनादेशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, वेबसाईट, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रेस प्रवक्ता, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित की वह उक्त सूचना को समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(एस0सी0 पिपलानी)
प्रभारी, जनसूचना विभाग